राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2307/2023

रामनिवास मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.09.2023
आदेश की दिनांक : 18.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीएचईडी भरतपुर जोन भरतपुर में कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पीएचईडी भरतपुर वृत्त भरतपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए आगामी उपस्थिति मुख्य अभियंता पीएचईडी जयपुर में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। अपीलार्थी आदेश दिनांक 27.06.2022 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था और विभाग द्वारा आलोच्य आदेश राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विरूद्ध जारी किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 9 माह का समय शेष है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को विधि विरूद्ध माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीएचईडी भरतपुर जोन भरतपुर में कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को न तो रिक्त पद पर लगाया गया है और न ही किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है और एपीओ आदेश में स्थानान्तरण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है बल्कि आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और उक्त आदेश स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलार्थी को विशेष परिस्थिति में एपीओ किया गया है, जिसमें नियम 25ए का उल्लंघन नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पीएचईडी भरतपुर वृत्त भरतपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए आगामी उपस्थिति मुख्य अभियंता पीएचईडी जयपुर में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जहां तक अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के दौरान स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2023 में स्थानान्तरण शब्द का उपयोग नहीं किया गया है अपितु आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, परंतु राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के अंतर्गत किसी भी कार्मिक को यदि आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है तो आदेश में स्पष्ट रूप से आदेशों की प्रतीक्षा में रखने का कारण अंकित किया जाता है, परंतु वर्तमान आलोच्य आदेश में विभाग द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है। अनुलग्नक–3 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 9 माह का समय शेष रहा है और विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति को ध्यान में न रखते हुए भरतपुर जिले से जयपुर जिले में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. पुष्पा मेहता बनाम राज्य में प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से लगे हुए

प्रतिबंध के बावजूद उक्त आदेश उच्च स्तर पर अनुमोदित किए बिना जारी किया गया है, जो हमारे मत में नियम विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 17.08.2023 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व पदस्थापित था।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य